



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082021-228669
CG-DL-E-02082021-228669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]
No. 424]

नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 1, 2021/श्रावण 10, 1943
NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 1, 2021/SRAVANA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2021

संख्या 42/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 523(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “अलॉय या गैर अलॉय इस्पात के बायर रॉड”(एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7213 या 7227 के अंतर्गत आती है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1228 (अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियमकी धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/17/2021-डीजीटीआर, दिनांक 28 जुलाई, 2021, जिसे दिनांक 28 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य

शुरू किया है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1228(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।”।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/137/2021-टीओ-(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 48/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1228 (अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2021

No. 42/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 523(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/17/2021-DGTR, dated 28th July, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th July, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under headings 7213 or 7227 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Peoples’ Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 48/2017-Customs (ADD), dated the 9th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1228(E), dated the 9th October, 2017 and had requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2017-Customs (ADD), dated the 9th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1228(E), dated the 9th October, 2017, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 31st January, 2022, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. CBIC-190354/137/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 48/2017-Customs (ADD), dated the 9th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1228(E), dated the 9th October, 2017.